

10/2/25
26/3/25

आगित किया गया है।
पत्रावली दिनांक 26/3/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी का दावा अंश
हाथी अंश पत्रावली में खारिज किया
जा चुका है। प्रार्थना-पत्र 212 RTI का
कोई औचित्य नहीं। अतः प्रार्थना-पत्र
212 RTI इसी तरह पर खारिज
किया जाता है।
पत्रावली प्रकृत शुभानु होकर
नम्बर है कम ही जाकर साखिज
शुभानु होकर

